Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में उपनिदेशक कृषि (विस्तार) एवं वरिष्ठ सहायक 25 हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक एवं दिनेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके फर्म के निलम्बित फर्टिलाईजर बिक्री लाईसेंस को रिन्यू करने की एवज में द्वारा राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक एवं दिनेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रभातीलाल निवासी नया कटला, दौसा हाल निवासी मकान नं0 29, छायादीप–प्रथम, महेशनगर, जयपुर हाल उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक एवं दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल निवासी माधेवाली, टोंक हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला टोंक को परिवादी से **25 हजार रुपये की रिश्वत** लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि एक परिचित की दूकान पर दिलवाई गई, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई है।

एसीबी के पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।